

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना
संख्या 61/2018 - सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 14 सितम्बर, 2018

सा.का.नि. (अ).- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा निर्देश देती है कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की प्रत्येक अधिसूचनाओं को उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तरीके से संशोधन किया जाएगा, यथा:-

क्र.सं. (1)	अधिसूचना संख्या तथा तारीख (2)	संशोधन (3)												
1.	अधिसूचना संख्या 73/2005- सीमा शुल्क, दिनांक 22 जुलाई, 2005, सा.का.नि. 498(अ) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित ।	<p>उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -</p> <p>(i) क्रम संख्या 06 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-</p> <table border="1"><tr><td>“6क</td><td>19053100</td><td>सभी वस्तुएं</td></tr><tr><td>6ख</td><td>21039010</td><td>सभी वस्तुएं</td></tr><tr><td>6ग</td><td>21039020</td><td>सभी वस्तुएं”;</td></tr></table> <p>(ii) क्रम संख्या 55 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-</p> <table border="1"><tr><td>“55क</td><td>29153200</td><td>सभी वस्तुएं”;</td></tr></table>	“6क	19053100	सभी वस्तुएं	6ख	21039010	सभी वस्तुएं	6ग	21039020	सभी वस्तुएं”;	“55क	29153200	सभी वस्तुएं”;
“6क	19053100	सभी वस्तुएं												
6ख	21039010	सभी वस्तुएं												
6ग	21039020	सभी वस्तुएं”;												
“55क	29153200	सभी वस्तुएं”;												

(iii) क्रम संख्या 83 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“83क	54024400	एक्स-इलास्टोमेरिक यार्न (उनसे भिन्न जो नायलान और अन्य पॉलीमाइड्स, अनट्विस्टेड या ट्विस्टेड जो कि 50 टर्न प्रति मीटर से अधिक न हों, से बने हों।)”;
------	----------	---

(iv) क्रम संख्या 84 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“84क	71042000	सभी वस्तुएं
84ख	72091710	सभी वस्तुएं
84ग	72091720	सभी वस्तुएं
84घ	72091730	सभी वस्तुएं
84ङ.	72091790	सभी वस्तुएं
84च	72109010	सभी वस्तुएं
84छ	72109090	सभी वस्तुएं
84ज	72251910	सभी वस्तुएं
84झ	72251920	सभी वस्तुएं
84ञ	72251990	सभी वस्तुएं
84ट	72251910	सभी वस्तुएं
84ठ	72251920	सभी वस्तुएं
84ड	72251990	सभी वस्तुएं
84ढ	73079910	सभी वस्तुएं
84ण	73079990	सभी वस्तुएं
84त	82071900	सभी वस्तुएं”;

(v) क्रम संख्या 91 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“91क	84439960	सभी वस्तुएं”;
------	----------	---------------

(vi) क्रम संख्या 125 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“125क	85234960	सभी वस्तुएं”;
-------	----------	---------------

(vii) क्रम संख्या 157 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“157क	85423900	सभी वस्तुएं”;
-------	----------	---------------

(viii) क्रम संख्या 186 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“186क	90281000	सभी वस्तुएं”;
-------	----------	---------------

(ix) क्रम संख्या 190 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“190क	91101100	सभी वस्तुएं”;
-------	----------	---------------

2.	अधिसूचना संख्या 10/2008- सीमा शुल्क, दिनांक 01 □□□□□, 2008, सा.का.नि. 33(अ) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित ।	क्रम संख्या 250 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-				
		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="854 296 963 928">“250क</td> <td data-bbox="963 296 1105 928">54024400</td> <td data-bbox="1105 296 1292 928">एक्स-इलास्टोमेरिक यार्न जो कि नायलान/अन्य पॉलीमाइड्स, अनट्विस्टेड या ट्विस्टेड जो कि 50 टर्न प्रति मीटर से अधिक न हों”;</td> <td data-bbox="1292 296 1414 928">5.00%”;</td> </tr> </table>	“250क	54024400	एक्स-इलास्टोमेरिक यार्न जो कि नायलान/अन्य पॉलीमाइड्स, अनट्विस्टेड या ट्विस्टेड जो कि 50 टर्न प्रति मीटर से अधिक न हों”;	5.00%”;
“250क	54024400	एक्स-इलास्टोमेरिक यार्न जो कि नायलान/अन्य पॉलीमाइड्स, अनट्विस्टेड या ट्विस्टेड जो कि 50 टर्न प्रति मीटर से अधिक न हों”;	5.00%”;			

[फाइल संख्या 354/363/2018-टीआरयू]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 73/2005-सीमा शुल्क, दिनांक 22 जुलाई, 2005 को सा.का.नि. 498 (अ) दिनांक 22 जुलाई, 2005 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 67/2016-सीमा शुल्क, दिनांक 31.12.2016 [सा.का.नि. 1198 (अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2016] के द्वारा संशोधन किया गया था और प्रधान अधिसूचना संख्या 10/2008-सीमा शुल्क, दिनांक 15 जनवरी, 2008 को सा.का.नि. 33 (अ) दिनांक 15 जनवरी, 2008 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 67/2016-सीमा शुल्क, दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 [सा.का.नि. 1198 (अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2016] के द्वारा संशोधन किया गया था ।